छत्तीसगढ़ शासन

श्रम विभाग

महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

अधिसूचना

नया रायपुर, दिनांक 11/3/15

क्रमांक एफ 10–2/2015/16 :– असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा असंगठित कर्मकारों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :–

सफाई कर्मकार विवाह योजना :–

1 योजना का प्रावधान :–

1.1 योजना का नाम सफाई कर्मकार विवाह योजना होगा।

1.2 योजना के अंतर्गत रूपये 15,000/– प्रति विवाह सहायता देय होगी।

1.3 योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होंगे।

2 योजना हेतु पात्रता :–

2.1 यह योजना महिला सफाई कर्मकार के स्वयं के विवाह अथवा सफाई कर्मकार हिताधिकारी की धर्मज या विधिमान्य गोद ली गई या सौतेली ऐसी पुत्री जिसकी आयु विवाह के समय 18 वर्ष से कम नहीं हो, के लिए लागू होगी।

2.2 पंजीबद्ध महिला कर्मकार के विवाह/एक बार पुनर्विवाह एवं पंजीबद्ध कर्मकार की दो पुत्रियों की सीमा तक लाभ प्राप्त करनें की पात्रता होगी।

3 योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :–

3.1 आवेदिका/आवेदक को विवाह के प्रस्तावित तिथि के एक माह पूर्व आवेदन करना होगा।

3.2 आवेदन पत्र में हस्ताक्षर आवेदिका महिला कर्मकार के स्वयं अथवा सफाई कर्मकार की पुत्री के स्वयं का होना चाहिए।

3.3 महिला कर्मकार स्वयं आवेदिका होने पर स्वयं का अथवा आवेदिका हिताधिकारी की पुत्री होने पर पिता/माता के परिचय पत्र का पंजीयन क्रमांक अंकित करना होगा।

3.4 निर्धारित प्रारूप में आवेदन संबंधित क्षेत्राधिकारिता सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किया जावेगा।

4 लाभ प्रदाय करने की प्रकिया—

आवेदक के आवेदन के जांच उपरांत संबंधित क्षेत्राधिकारिता के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी द्वारा निर्धारित राशि आवेदक के खाते में जमा करेगा ।

5 विसंगति का निराकरण—

योजना में यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, तो उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल का निर्णय अंतिम माना जावेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

10/3/15

(याकुब खेस्स)
उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

पृष्ठांकन क्रं. एफ 10—2/2015/16 **नया रायपुर, दिनांक** 11/3/15

प्रतिलिपि :—

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, (भारसाधक मंत्री) श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
2. स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
3. स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
4. श्रमायुक्त श्रमायुक्त कार्यालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ0ग0)
5. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0)
6. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल रायपुर (छ0ग0)
7. सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0)

8. सहायक श्रमायुक्त / श्रम पदाधिकारी / सहायक श्रम पदाधिकारी...........................(छ0ग0)

9. उप संचालक / सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा ....(छ0ग0)

10. उप संचालक शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर प्रेषित् कर लेख है, कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

10/3/15

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग